

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की सोमवार, दिनांक 15.02.2016 को समय अपरान्ह 03.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

- 01. विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.12.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)
- 02. विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.12.2015 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
- 03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार <u>अस्थायी</u> सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, साल्हेवारा	B.A. III- Hindi, English (FC) Sociology, Economic J, Political Sc. B.Sc III - F.C. Chemistry, Botany Zoology B.ComIII-	60	2015—16	1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. एस.के. राजपुत, शास. महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला—बालोद 3. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय एवं आाचार्य, वाणिज्य, शास. जी.एन.ए. महा. भाटापारा
		Compulsory Subject			

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 12.12.2015

पं. र.वि.वि. के आदेश क्र. 4497 / सं. / अका. / 2015 रायपुर दिनांक 20.08.2015 के अनुसार दिनांक 12.12.2015 को निरीक्षण समिति ने नवीन महा. साल्हेवारा में निरीक्षण किया गया जिसमें BA, B.Sc. एवं B.Com.-III प्रत्येक में 60 सीट के लिए सम्बद्धता हेतु विचार किया गया। यह महाविद्यालय वर्तमान में कक्षाएं एवं प्रयोगशाला आदि सभी High School का पुराना भवन में संचालित है। प्राचार्य महोदय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महाविद्यालय का स्वयं का भवन निर्माण प्रगति पर है। महाविद्यालय में स्वीकृत पद 10+1 है। दो पद regular एवं 8 पद अतिथि प्राध्यापक है। प्राचार्य भी प्रभारी B.A.-III (22), B.Sc. (09) एवं B.Com.-III (0) छात्र—छात्राएं हैं। कुल पुस्तकों की महाविद्यालय में प्रयोगशाला एवं उपकरणों की आवश्यकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	संत गुरू घासीदास शासकीय महाविद्यालय, कुरूद, जिला–धमतरी	M.C.A Prev.	20	2015—16	 डॉ. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला डॉ. संजय कुमार, अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला
		M.A. Prev. Economics	25	2015—16	1. डॉ. अमरकांत पाण्डेय, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र

M.A. Final English	30	अध्ययनशाला 2. डॉ. विनोद कुमार जोशी, शास. राधा बाई नवीन कन्या महावि. रायपुर 3. डॉ. कल्पना पाल, शास. दू.ब. महिला महावि. रायपुर
-----------------------	----	--

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 17.12.2015

M.C.A. -Prev.

Not ELIGIBLE [Pl. see enclosure]

Principal, Sant Guru Ghasidas Govt. P.G. College, Kurud vide Application form for affiliation clause-2 has submitted that the permission of Deptt. Commissioner of Higher Eduction as well as reguletory body AICTE is attached but on inspecton of college on 17-12-2015, the team found that the college has not even applied for approval of AICTE. As per Approval process Hand book 2015-16 giving to Principal of the College, MCA is a teachnical program and prior approval of AICTE is compulsory and mendetory for conduct administration to thoroughly go through Approval process handbook of AICTE for 2016-17 and after getting approval of AICTE, college will require affiliation by University for conduct of technical programme MCA. It is also important to emphasize that admission procedure for MCA program is conducted by Directorate of Technical Education, Raipur so college should ------------- consent of DTE.

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 15.01.2016

M.A. Prev. Economics

(शासन का आदेश क्र. एफ 3-35/2015/38-1 नया रायपुर, दिनांक 31.08.2015)

पं. र.वि.वि. के आदेश क्र. 121/अका./सम्ब./2015, रायपुर दिनांक 29.12.2015 के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 15.01.2016 के शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद का निरीक्षण (M.A. Prev. Eco. 25 Seats) किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य पाये गये :

- 1. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें पर्याप्त कक्ष एवं फर्नीचर उपलब्ध हैं।
- 2. महाविद्यालय में क्रीड़ाधिकारी एवं ग्रंथपाल तथा 16 नियमित शिक्षक, 09 जनभागीदारी, तथा 15 शिक्षक अतिथि व्याख्याता एवं 01 जनभागीदारी के अंतर्गत् है। गैर शिक्षकीय पद पर 14 कर्मचारी कार्यरत् है।
- 3. अर्थशास्त्र विषय से संबंधित पुस्तकें ग्रंथागार में उपलब्ध है किंतु इनकी संख्या कम है।
- 4. अर्थशास्त्र विषय हेतु 01 अतिरिक्त शिक्षक एवं विषय से संबंधित पुस्तकें (25000/—) क्रय करने हेतु महाविद्यालय प्रशासन को कहा गया है।

M.A. Final English

Reference to letter no. 121/अका. / 2015 dated 29-12-2015 visited Govt. Sant Guru Ghasidas Govt. College, Kurud Dist.-Dhamtari.

1. Infrastructure satisfactory, the college is doing class for M.A. Final English.

For Affiliation -

- 1. Standard Books on English Literature worth at least one lack is suggested.
- 2. English Dept. is having only one post, one more Asstt. Professor. to meet the increase of work load is suggested.

The college has got its own building.

क्र.	महाविद्यालय का	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
	नाम				
03.	आई.बी.टी. कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्टस् बेरला रोड,	B.ScII - (F.C., Maths, Physics,Chemi stry)	Maths, s,Chemi 2. डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव,	अध्ययनशाला 2. डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, प्रबंधन	
	(Compulsory subject)	संस्थान 3. डॉ. संजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, कम्प्यूटर अध्ययनशाला			
1		B.B.AII	30		27.37.7.7.1.1.1.1
L		B.C.AII	30		

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 14.01.2016

विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 170/अका./2016 दिनांक 02.01.2016 के संदर्भ में आज दिनांक 14.01.2016 को IBT College of Sc. & Arts अहिवारा, दुर्ग का B.Sc. गणित, B.Com. (C.A.), BBA, BCA Second year Session 2015-16 के संदर्भ में निरीक्षण किया और पाया :--

- 1. उक्त महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है।
- 2. Campus के एक भाग में Polytechnique College का भी संचालन किया जाता है।
- 3. उक्त पाठ्यक्रम हेतु सीट संख्या के अनुपात में सभी विषयों की पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
- 4. महाविद्यालय के कंप्यूटर कक्ष में लाइसेन्स्ड सॉफ्टवेयर है। तथा (03) और कम्प्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है।
- 5. भौतिकी और रसायन प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरण क्रय करने की आवश्यकता है।
- 6. प्राचार्य एवं सभी विषयों में परिनियि 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है।

_						
क्र.	महाविद्यालय का	कक्षा / विषय	छात्र स	पंख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
	नाम					
04.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, पिपरिया, जि. —कबीरधाम (छ.ग.)	B.AIII - Hindi, English (F.C.), Economics, Political Sc., Sociology B.ScIII - (F.C., Chemistry, Physics, Maths) B.ComIII (Compulsory Subject)	60		2015—16	1. डॉ. एस.के. जाधव, आचार्य, बायोटेक्नालॉजी अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल, प्राचार्य, शासकीय डी. एस.व्ही. संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 22.01.2016

शासकीय नवीन महाविद्यालय पिपरिया, जिला—कबीरधाम का निरीक्षण किया गया। शर्तें —

- 1. रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति।
- 2. 50 पचास हजार रुपयों की पुस्तकें क्रय करने।

की शर्तों की पूर्ति की शर्त पर B.Sc.-III (60 Seats), FC Botany Zoology, Chemistry,

B.A. -III 60 Seat- Hindi, English (FC) Economics, Political Sc., Sociology,

B.Com.-III 60 Seat सभी अनिवार्य विषयों पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता देने हेतु निर्णय लिया जाना उचित होगा।

टीप — बी.एस—सी. भाग—1, बी.ए. भाग—1 एवं भाग—2 में निर्धारित सीट से अधिक छात्र—छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	शास. स्वामी विवेकानंद महावि. बोड़ला, जि. –कबीरधाम (छ.ग.)	M.APrev. Sociology	25	2015—16	1. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. प्रो. पी.के. शर्मा, अध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 25.01.2016

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3603/अका./2015 रायपुर दिनांक 19.11.2015 के परिपालन में शास. स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला, जिला—कबीरधाम (छ.ग.) में सत्र 2015—16 से एम.ए. पूर्व समाजशास्त्र (प्रथम सेमेस्टर) 25 सीट के लिए संबद्धता हेतु आज दिनांक 25.01.2016 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये।

- 1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है।
- 2. महाविद्यालय का अपना शासकीय भवन है। अधोसंरचना पर्याप्त है।
- 3. महाविद्यालय में प्राचार्य एवं शिक्षकों के 13 स्वीकृत पद है जिसमें से 03 नियमित सहायक प्राध्यापक है तथा 07 अतिथि व्याख्याता कार्यरत है।
- 4. बी.ए. एवं एम.ए. समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए मात्र 01 अतिथि व्याख्याता है। एम.ए. समाजशास्त्र के अध्यापन के लिए 01 सहायक प्राध्यापक की और नियुक्ति की आवश्यकता है।
- 5. ग्रंथागार में स्नातक स्तर के लिए समाजशास्त्र विषय के 435 पुस्तकें हैं। एम.ए. समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें नहीं है। एम.ए. समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

	नग आवर वक्तरा र				
क्र.	महाविद्यालय का	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06.	नहापियालयं की नाम शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोहला, जिला—राजनांदगांव	BA III- F.C, Political Sc, Sociology, Geography B.Sc. III- F.C., Botarry,	ष्ठात्र संख्या		1. डॉ. आर.एन. सिंग, प्राचार्य, दिग्विजय कालेज, राजनांदगांव 2. डॉ. सुशील चंद तिवारी, प्राचार्य, शास. व्ही.वाय. टी. पीजी कालेज, दुर्ग 3. डॉ. संतोष कुमार शर्मा, प्राचार्य, शास.
		Zoology, Chemistry B.Com.III- All Compulsory Subject			महाविद्यालय, गुरूर, जिला–बालोद

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 28.01.2016

शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोहला, जिला—राजनांदगांव (छ.ग.) का दिनांक 28 जनवरी, 2016 को निरीक्षण किया कार्य सम्पन्न किया गया, महाविद्यालय में —

<u>बी.ए.-III</u>- फाउन्डेशन, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, हिन्दी साहित्य,

<u>बी.एस.सी.–III</u>– फाउन्डेशन, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र,

बी.काम—III— सभी अनिवार्य विषय हेतु जाँच समिति ने प्रतिवेदन भाग "अ" के अनुसार समस्त भौतिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं पात्रता के अनुसार पायी गयी, महाविद्यालय में बी.ए.—III पूर्व से ही हिन्दी साहत्य की कक्षाएं संचालित है, नियमित प्राध्यापक उपलब्ध है, अतः अध्यापन की पात्रता है।

किमयाँ - (1) मात्र 03 विषयों में नियमित प्राध्यापक हैं, शेष पर अतिथि प्राध्यापक कार्यरत हैं।

- (2) ग्रन्थालय एवं क्रीड़ाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है।
- (3) प्रायोगिक विषयों में प्रयोगशाला परिचारक का पद स्वीकृत नहीं है।

क्र.	महाविद्यालय का	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
	नाम				
06.	शास. नेहरू महाविद्यालय	M.Sc. Final Zoology	15		 डॉ. कल्पना पाल, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महावि. रायपुर
	डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव	M.A. Final English	30		 डॉ. आर. महेश्वरी, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 06.02.2016

For M.A. Final English:

Book available in the library is adequate for M.A. English, Standard Journal should be subscribed and more reference book should be procured.

For Zoology M.Sc. final - Suggested to procured adequate reference books, Chemicals and Instruments as per University syllabus. Some standard Journals should be subricribe.

- 04. बी.एड्. स्पेशल एजुकेशन एम.आर. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का अनुमोदन करने पर विचार करना। टीप : कार्यलयीन टीप संलग्न है।
- 05. वाणिज्य स्नातक स्तर पाठ्यक्रम में वर्तमान कम्पनी अधिनियम 2013 को प्रभावी करने के संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन के पत्र पर विचार करना।
 - टीप : 1. आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय से प्राप्त पत्र क्र. 613/181/291/2015 दिनांक 26.12.2015 में स्नातक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय कम्पनी अधिनियम 1956 के स्थान पर कम्पनी अधिनियम 1956 के स्थान कम्पनी अधिनियम 2013 का अध्यापन कराये जाने का निर्देश दिया गया है।
 - 2. वाणिज्य अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 11.12.2015 में कम्पनी अधिनियम 1956 के स्थान पर कम्पनी अधिनियम 2013 वर्ष 2015—16 से पढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।
 - 3. अध्ययन मंडल के निर्णय को अनुमोदनार्थ केन्द्रिय अध्ययन मंडल को प्रेषित किया गया था।

यथा प्रकरण आदेशानुसार विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में विचारार्थ प्रस्तुत है।

06. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में संचालित एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान पाने वाले परीक्षार्थी के लिए श्रीमती नंदिनी सिंह द्वारा सहज योग की संस्थापिका, श्री माताजी निर्मला देवी के सम्मान में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने पर विचार करना।

टीप : शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में संचालित एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान पाने वाले परीक्षार्थी के लिए दानदात्री श्रीमती नंदिनी सिंह द्वारा सहज योग की संस्थापिका, श्री माताजी निर्मला देवी के सम्मान में 'श्री माताजी निर्मला देवी सहज योग स्वर्ण पदक' (SHRI MATAJI NIRMALA DEVI SAHAJA YOGA GOLD MEDAL) के नाम से सत्र 2015—16 विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में एम.पी.एड. (M.P.Ed.) की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No./R.No. G1\14261, Dated- 28 Jan-2016 के द्वारा रूपये 50,000/— आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 166 का अनुमोदन एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

- 07. स्नातक स्तर पर हिंदी एवं अंगरेजी विषय के अध्ययन/अध्यापन के लिए यू.जी.सी. के पत्र क्र. मि0 सं0 16-1/2008 (राजभाषा) 28 जनवरी, 2016 के संबंध में विचार करना। टीप : कार्यलयीन टीप संलग्न है।
- 08. समन्वय समिति में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत अध्यादेश—188 एवं B.Voc Rennewable Enervy
 Technology & Management, Draft Regulation, Scheme and Syllabus पर यू.जी.सी. के
 नवीन दिशा निर्देश के अनुसार संशोधन किये जाने पर विचार करना।

टीप : यू.जी.सी. का नवीन दिशा निर्देश एवं संशोधित ड्राफ्ट रेगुलेशन संलग्न।

09. सेंटर फार बेसिक साइंस (Integrated M.Sc.) एवं सेंटर फार बेसिक साइंस के संचालन हेतु आटोनामी से संबंधित रेगुलेशन के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

<u>टीप</u> : अध्यादेश निर्माण एवं संशोधन समिति की बैठक दिनांक 01.02.2016 एवं 05.02.2016 में अनुशंसा की गई है। विनियम की छायाप्रति संलग्न।

10. श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ, पारस नगर—नगपुरा, जिला—दुर्ग के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में जैन दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में आचार्य श्री लिख्य सूरी. महाराजा जैन अध्ययन पीठ (जैन स्टडी चेयर) की स्थापना के संबंध में Draft Proposal पर विचार करना।

टीप : श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ, पारस नगर—नगपुरा, जिला—दुर्ग का पत्र एवं Draft Proposal for establishment of a Chair for research and advancement of knowledge in the field of Jain Philosophy and Culture in Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur की छायाप्रति संलग्न।

11. सत्र 2015—16 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :--

शासकीय महाविद्यालय

1	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (2014—15 एवं 2015—16)
2	शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर), जिला–दुर्ग
3	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद
4	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा
5	नवीन शासकीय महाविद्यालय, पिपरिया, जिला-कबीरधाम

अशासकीय महाविद्यालय

1 आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ मैनेजमेंट छतौना, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर

अशासकीय बी.एड्. महाविद्यालय

1 भिलाई स्कूल ऑफ एजूकेशन एंड रिसर्च, प्लाट नं.—1268 ग्राम—चंद्रखुरी, जिला—दुर्ग

अशासकीय बी.एड्. एवं अन्य विषय संचालित महाविद्यालय

- 1 अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, दुर्ग
- 12. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसर्चिव <u> </u>



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 🛮 🗸 5 💎 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 14/12/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11.12.2015 अपरान्ह 04.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे —

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति		. 10	070770
	-		_	अध्यक्ष
۷.	डॉ. भगवंत सिंह		_	सदस्य
3.	डॉ. सी.डी. अगासे		_	सदस्य
4.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव		_	
5	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर			सदस्य
٥.	७।. आ.पा. चन्द्राकर		_	सदस्य
6.	डॉ. अब्दुल अलीम खान		a	सदस्य
7.	डॉ. अमरकांत पाण्डेय		_	
0	डॉ. शैलेन्द्र सराफ		- M	सदस्य
		-		सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव		_	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- 01. विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.10.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
- निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.10.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
- 02. विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.10.2015 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
- निर्णयः विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.10..2015 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।
- 03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है —

큙.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	চ্যার	संख्या	सत्र	Delem TAR 2
01	शास. रानी सूर्यमुखी देवी महा. छुरिया, जिला–राजनांदगांव	B.ScI Bio Group (Botany, Zoology, Chemistry)	60		2015—16	निरीक्षण समिति के सदस्य 1. प्रो. एम.डब्ल्यू वाय. खान, भू—विज्ञान अध्ययनशाला 2. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला

B.ScI Maths Group (Maths, Physics, Chemistry)	60	3. डॉ. दीपक कारकून, प्राचार्य, शास. वा.वा. पाटणकर कन्या महावि. दुर्ग
B.ComI- All Compulsory Subject	60	 प्रो. आर.पी. दास, विश्वविद्यालय, प्रबंधंन संस्थान डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, शास. जी.एन.ए. महा. भाटापारा डॉ. एस.के. शर्मा, प्राचार्य, शास. महावि. गुरूर

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 31.10.2015 एवं 06.11.2015

(शासन का आदेश क्र. 198/69/आउशि/योजना/15 दिनांक 31.07.2015)

आज दिनांक 31.10.2015 के निरीक्षण पश्चात् प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है –

- 1. B.Sc. Part-1 Bio एवं Math हेतु शैक्षणिक स्टाफ सभी विषयों में कार्यरत है।
- 2. प्रयोगशाला तकनिशियन के 4 पदों के विरूद्ध एक कार्यरत है।
- 3. लैब सामग्री संतोषप्रद है।
- 4. पुस्तकों की संख्या भी संतोषप्रद है।
- 5. प्रयोगशाला परिचारक के स्वीकृत 4 पद रिक्त है।

B.Com. -I

- > College has adequate infrastructural facilities like
 - o Class Rooms
 - o Library
 - o Computer
 - o Play Ground
- > 34 Students have taken admission in B.Com.
- Arround 200 Books are there for B.Com. Class.
- > One Adhoc Teacher is appointed to take B.Com. Class.

College Should procure more books on commerce subject & appoint/arrange more teachers for commerce before the commencement of next academic session.

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

蛃.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसीवां	M.A. Previous- Hindi	25	2015—16	1. प्रो. व्यास नारायण दुबे, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला 2. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अ.शा. 3. डॉ. एस.जे. केकरे, प्राचार्य, शास. जी.एन.ए. महावि. भाटापारा

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 31.10.2015

(शासन का आदेश क्र. एफ 3—35/2015/38—1 दिनांक 21.08.2015)

- 1. आज दिनांक 31.10.2015 को शास. महाविद्यालय, धरसींवा का निरीक्षण किया गया।
- 2. महाविद्यालय में हिन्दी विषय के एक नियमित शिक्षक है, कुल शिक्षकों की संख्या 11 है।
- 3. ग्रंथागार में विषय से संबंधित पुस्तकों की संख्या पर्याप्त है। इसी प्रकार पर्याप्त कक्ष एवं फनीचर उपलब्ध है।
- 4. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है। क्रीड़ाधिकारी कार्यरत् है।
- 5. गैर शिक्षकीय पद पर कुल 13 लोग कार्यरत् है। हिन्दी विषय में एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03	शासकीय बद्रीप्रसाद कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महावि. आरंग, जिला–रायपुर	M.Sc. Previous- Zoology	25	2015—16	 डॉ. (श्रीमती) रेणु महेश्वर, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा. रायपुर डॉ. (श्रीमती) आरती परगनिहा, बायोसाइंस अध्ययनशाला

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 31.10.2015

(शासन का आदेश क्र. एफ 3-35/2015/38-1 दिनांक 21.08.2015)

भविष्य में जल्द से जल्द निम्न बिंदु के पालन हेतु –

- 1. एम.एस.सी. प्राणी शास्त्र के विभिन्न सेमेस्टर (I,II,III,IV) में उपयोग होने वाली पुस्तकों के क्रय हेतु।
- 2. एम.एस.सी. प्राणी शास्त्र में पाठ्यक्रम के आधार पर प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले उपकरण, रसायन तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु। भविष्य में उपरोक्त बिंदु की जल्द से जल्द पालन की प्रत्यक्षा पर M.Sc. प्राणीशास्त्र विषय की सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
	नाम .				×
04	राजीव गांधी शासकीय महावि. सिमगा, जिला—बलौदाबाजार — भाटापारा	M.A. Prev Political Science	25	2015—16	1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल, प्राचार्य, शास. डी. एस.व्ही. संस्कृत महावि. रायपुर

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 16.10.2015

(शासन का आदेश क्र. एफ 3-35/2015/38-1 दिनांक 21.08.2015)

अधोसंरचना संतोषजनक है।

शर्तें -

- 1. राजनीति शास्त्र विभाग में एक नियमित सहायक प्राध्यापक कार्यरत है, अतः दो सहायक प्राध्यापकों (राजनीति शास्त्र) की नियुक्ति किया जावे।
- 2. राजनीति शास्त्र विषय हेतु 25 हजार रुपयों की पुस्तकें क्रय किया जावे। उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के शर्त पर सत्र 2015—16 से एम.ए. पूर्व राजनीति शास्त्र (सीट संख्या 25) की पात्रता है।

_					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य ,
05	शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय,	BALLB -II	60	201516	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, अधिष्ठाता विधि संकाय एवं आचार्य, विधि अध्ययनशाला
	भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार– भाटापारा				2. डॉ. विनीता अग्रवाल, विभागाध्यक्ष विधि शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 19.10.2015 -

विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 19.10.2015 को नवीन विधि शासकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा पाया कि —

- 1. महाविद्यालय के पास पाठ्यक्रम चलाने हेतु पर्याप्त भवन है।
- 2. छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हैं और खरीदी की प्रक्रिया चालू है।
- 3. समिति को बताया गया कि शासन के पत्र दिनांक 27.12.2013 के पत्र में जो Set up स्वीकृत किया गया है उसके अनुरूप शिक्षकों एवं स्टॉफ की पदस्थापना हेतु कार्यवाही शासकीय स्तर पर संचालित है।
- 4. समिति के सदस्यों ने छात्रों से शिक्षण व्यवस्था के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने सन्तोष व्यक्त किया।
- 5. अतः BALLB Part-II की 60 सीटों हेतु स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि BCI की कोई शर्त पूरी नहीं की गई हो तो उसे महाविद्यालय द्वारा पूरा कर लिया जावे।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06	डॉ. खूबचंद बघेल शास. स्नातकोत्तर महावि. भिलाई—3	B.ComIII Computer Appli. M.A. Final - English	30	2015—16	1. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय एवं आाचार्य, वाणिज्य, शास. जी.एन.ए. महा. भाटापारा 2. डॉ. अब्दुल अलीम, अंग्रेजी, शास. दानवीर तुलाराम महा. उतर्इ

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथिः 31.10.2015 –

वि.वि. के पत्र क्रमांक 5946 / अका. / सम्ब. / 2015 दिनांक 09.10.2015 हेतु आज दिनांक 31.10.2015 को निरीक्षण किया एवं देखा (1) डॉ. खूबचंद बघेल शास. स्नातकोत्तर महा.भिलाई—3 में नियमित प्राचार्य है एवं अपना स्वयं का भवन है। (II) बी.काम. भाग एक एवं दो कम्प्यूटर एप्लीकेशन हेतु अस्थायी सम्बद्धता 2013—14 एवं 2014—15 में लिया था एम.ए. अंग्रेजी पूर्व हेतु अस्थायी सम्बद्धता 2014—15 में लिया था एम.ए. अंग्रेजी पूर्व हेतु अस्थायी सम्बद्धता 2014—15 में लिया गया है। (III) बी.काम. हेतु 04 पद (1 प्रा. एवं 03 सहा.प्रा.) स्वीकृत है एवं 03 सहा. प्रा. नियमित रूप से कार्यरत है तथा 01 सहा.प्रा. जनभागीदारी से है। 02 सहा. प्रा. जनभागीदारी से कम्प्यूटर अध्यापन हेतु रखा गया है तथा अंग्रेजी में 03 पद (1 प्रा. एवं 02 सहा. प्रा. का) स्वीकृत है जिसमें 1 प्रा. एवं 1 सहा.प्रा. नियमित है तथा 1 सहा.प्रा. जनभागीदारी से नियुक्त है। (IV) लाइसेंसी साफ्टवेयर है (V) पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त है। (VI) वर्तमान में बी.काम. I, II III में छात्र संख्या पुस्तकों की संख्या 1608 एवं 03 है तथा एम.ए. अंग्रेजी I सेमे. में 18 तथा III सेमे. में 04 है।

उक्त स्थिति में बी.काम—III कम्प्यूटर एप्ली. एवं एम.ए. अंतिम अंग्रेजी में अस्थायी सम्बद्धता हेतु टीप प्रस्तुत है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
07	शास. दिग्विजय स्नातकोत्तर महावि. राजनांदगांव	M.Sc. Final Biotechnolo gy	10	2013-14, 2014-15, 2015-16	
		B.ScII Microbiology	40	2014—15, 2015—16	
		B.ScII Anthropology	40	2014—15, 2015—16	प्रो. मिताश्री मित्रा, मानव विज्ञान अध्ययनशाला
		MSW Final	25	2013-14	डॉ. जवाहर तिवारी, समाजशास्त्र अध्ययनशाला
		M.A. Rural Development Final	30	2013—14, 2014—15, 2015—16	

	M.Sc. Final Computer Sc.	20	2013—14, 2014—15, 2015—16	डॉ. संजय	कुमार,	कम्प्यूटर	अध्ययनशाला	
Ð	BCA II	40	2013—14, 2014—15, 2015—16					
	B.AII Psychology	40	-	प्रो. प्रोमिल	ा सिंग,	मनोविज्ञा	न अध्ययनशाला	-

निरीक्षण समिति द्वारा टीप — निरीक्षण तिथिः 09.05.2015/30.03.2015/20.04.2015/12.05.2015

- We visited (dates of visit in respective department are mentioned in Table 1) the Government Digvijay Autonomous P. G. College, Rajnandgaon (C.G.) in various Department (mentioned in Table 1) and interacted with the Principal (Dr. R.N. Singh) and other members of the department.
- We have also interacted with some of the students of departments.

The Government has sanctioned 40 seats in B.Sc. I Year in Anthropology, 40 seats in B.Sc. I year Microbiology, 40 seats in BCA I year, 40 scats in B.A. Psychology I yeear, for this academic session (2013-14) vide letter no. 320/01/Aao0shi/Yojna/13 Raipur dated 04.7.2013.

Name of Course	Subject	No. of Seat
B.Sc. I year	Anthropology	40
B.Sc. I year	Microbiology	40
BCA I year	BCA	40
BA. I year	Psy,cholog.v	40

- College has deposited affiliation fee to the university for all above mentioned Courses for 2014-2015 session of Rs.140,000/- virle university Book No.3252, R.No. 60 dated January 29,2015 along with PRESCRIBED FORMAT VIDE Letter no./GDCR/I983/2014 Rajnandgaon dated 27.01.2015 (DD. no.419026 dated 31.7.2013).
- Currently college has appointed one Teacher in each subject under Jan Bhagidari Progrtrm to teach the classes except in Computer Science, where in addition to that one PSC sclected permanent teacher is taking classes.
- > The independent class room has been specified for running the classes and practical labe is also specified for the students.
- There is only one skeleton to conduct practical in Anthropology. Authority informed us that list of equipment has been prepared for purchase.
- > 35 students in Anthropology, 32 students in Microbiology and 35 students in BCA I year have taken admission till the date of inspection.
- > The college has adequate space to run the course but it has to be restructured.
- The library of the college has total 84334 books and also hav internet, OPAC and inflibnet facilities. Permanent librarian Mr. J.L. Garg is working since 10-02-1981.
- They have purchased some books of each subject (list enclosed in the file). However, more number of copies of text books and new text books are need to be purchased in all inspected subjects.
- More Computers for Computer Lab of Computer Science department need to be purchased (at leasst 20 computers).
- > Permanent teachers are required for smooth running of the courses.
- More teachers be appointed in Comuter Science.
- Goernment has created one post in Anthropology, one post in Microbiology and one post in Computer Science + BCA subjects (Higher Education Department letter no. 320/09/AaOoShi/Yojna Raipur dated 9.7.2013), which should be filled-up through PSC on priority basis by the qualified candidates.
- > In the meantime, the college may be granted permission for which they have applied.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
08	शासकीय मिनिमाता कन्या महावि. बलौदाबाजार	B.Sc. (Home Sc.)	60	2015—16	1. डॉ. अरूणा पल्टा, शास. डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महा. रायपुर 2. डॉ. रश्मि मिंज, संकायाध्यक्ष, गृह विज्ञान संकाय एवं शास. दूब. महिला महा. रायपुर 3. डॉ. संध्या वर्मा, प्राचार्य, शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर
		M.A. Prev. Hindi	25	ā	 डॉ. एस.जे. केकरे, प्राचार्य, शासकीय जी.एन.ए. महा. भाटापारा डॉ. ज्योति पाण्डेय, अध्यक्ष, हिंदी अध्ययन मण्डल, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी महा. महासमुंद डॉ. आभा तिवारी, प्राचार्य, शास. महावि. पिथौरा

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथिः 05.11.2015

(शासन का आदेश क्र. 198/69/आउशि/योजना/15 दिनांक 31.07.2015)

प्रस्तावित पाठ्यक्रम B.Sc. (Home Sc.)

- शिक्षकों की संख्या—2 (1 नियमित 1 अतिथि)।
- पुस्तकों की संख्या 844.
- अधोसंरचना 60 छात्राओं के लिये पर्याप्त। प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये कम से कम पचास हजार रुपये की नई पुस्तकें, दो सहायक प्राध्यापक एवं एक प्रयोगशाला परिचारक की अनुशंसा की जाती है।

M.A. Prev. Hindi (शासन का आदेश क्र. एफ 3-35/2015/38-1 दिनांक 21.08.2015)

प्रस्तावित पाट्यक्रम एम.ए. हिन्दी

- शिक्षकों की संख्या—2 (नियमित 1, जनभागीदारी प्रा. 1) तीन संकाय एवं छात्र संख्या के आधार पर तीन सहा. प्रा. एवं एक प्राध्यापक की आवश्यकता है।
- पुस्तकों की संख्या 83 (विभागीय ग्रंथालय)
- 🕨 अधोसरचना— एम.ए. हिन्दी स्वीकृत 25 सीट, अधोसरचना पर्याप्त।
- 🕨 प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु कम से कम एक लाख की पुस्तकें क्रय की जाने की अनुशंसा की जाती है।
- 🕨 उपर्युक्त की प्रत्याशा में सम्बद्धता की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
09	कोपलवाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय, पं. सुन्दर लाल शर्मा स्कूल कैम्पस, सुंदर नगर, रायपुर (कोपलवाणी चाईल्ड वेलफेयर आर्गनाइजेशन, सुंदर नगर, रायपुर)	B.AI- FC, Drawing, Painting, Dance, Sociology DCA	30	2015—16	1. प्रो. भगवंत सिंह, दर्शनशास्त्र अध्ययनशालाः 2. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. प्रो. प्रमोद शर्मा, समाजशास्त्र अध्ययनशाला 4. डॉ. व्ही.के. पटले, कम्प्यूटर अध्ययनशाला

निरीक्षण समिति द्वारा टीप — निरीक्षण तिथिः 05.11.2015 — (शासन द्वारा जारी पत्र क्र. एफ 17—50/2015/ 38—2 दिनांक 10.08.2015)

विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 6104/अका./2015 दिनांक 30.10.2015 के तहत आज दिनांक 05.11.2015 को कोपलवाणी (श्रवण बाधित महाविद्यालय) चाइल्ड वेलफेयर आर्गनाईजेशन सुन्दर नगर रायपुर में बी.ए. प्रथम वर्ष्झ (30 सीट) अनिवार्य विषय के साथ ड्राइंग, पेंटिग नृत्य एवं समाजशास्त्र, डी.सी.ए. (30 सीट) के लिए सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्न तथ्य पाए गए।

- 1. महाविद्यालय में बी.ए. एवं डी.सी.ए. के प्राचार्य एवं शिक्षक नहीं है। वि.वि. के 28 परिनियम के तहत् शिक्षकों एवं प्राचार्य कि नियुक्ति कि जाए।
- 2. अभी तक महाविद्यालय में प्रवेश निरंक है।
- 3. महाविद्यालय पं. सुन्दर लाल शर्मा स्कूल के ऊपर एवं नीचे के एक हाल तथा 05 कमरे में किराए पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।
- 4. महाविद्यालय को समिति द्वारा 08 कम्प्यूटर आदि प्रदान किया गया है। (संलग्न)
- 5. शासन द्वारा जारी पत्र क्र. एफ 17-50/2015/38-2 दिनांक 10.08.2015 की सभी शर्तों के पालन किए जाने की आवश्यकता है।
- 6. प्रस्तावित महाविद्यालय जनशक्ति उन्नयन से संबंधित विशिष्ट प्रकार का है।

निर्णय : सत्र 2015—16 में प्रवेश नहीं होने के कारण अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016—17 से निरीक्षण सिमिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें। शासन द्वारा जारी पत्र क्र. एफ 17—50/2015/38—2 दिनांक 10.08.2015 की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
10	स्व. राजा विरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, जिला–महासमुंद	M.Com. Prev.	25	2015—16	1. प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, संचालक, वि.वि. प्रबंध संस्थान 2. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं आाचार्य, वाणिज्य, शास. जी.एन.ए. महा. भाटापारा 3. डॉ. अब्दुल करीम, वाणिज्य विभाग, शास. महाविद्यालय, महासमुंद

निरीक्षण तिथि — 01.12.2015 (शासन का आदेश क्रमांक एफ—3—25/2015/38—1 दिनांक 21.08.2015) विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 6207/अका./2015 दिनांक 05.11.2015 के संदर्भ में स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंग शास. महा. सरायपाली में एम.काम. पूर्व प्रथम सेमेस्टर 25 सीट के लिए दिनांक 01.12.2015 को निरीक्षण किया एवं देखा —

- 1. महा. में अधोसरंचना पर्याप्त है।
- 2. वर्तमान में केवल 05 छात्र शिक्षारत हैं एवं पुस्तकालय में पुस्तकें की संख्या 83 पर्याप्त है।
- 3. उक्त पाठ्यक्रम की अनुमित शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ-3-25/2015/38-1 दिनांक 21.08.2015 के द्वारा सत्र 2015-16 हेतु दी गयी है। शासन द्वारा इस हेतु पद स्वीकृत नहीं किया गया है किन्तु जनभागीदारी सिमित द्वारा 01 शिक्षक की नियुक्ती पठन-पाठन हेतु की गयी है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	চার	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
			संख्या		
11	रानी रिंम देवी सिंह	M.Com. Final	20	2011-12	1. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला
	शास. महावि. खैरागढ़,			से	2. प्रो. व्यास नारायण दुबे, साहित्य एवं भाषा
	जिला–राजनांदगांव			2015-16	अध्ययनशाला
		M.Sc. Final-	20	2004-05	3. डॉ. जवाहर लाल तिवारी, समाजशास्त्र
		Chemistry		से	अध्ययनशाला
				2015-16	4. डॉ. एस.के. शर्मा, प्राचार्य, शास. महाविद्यालय,
		M.A. Final-	20	2010-11	गुरूर
		Hindi Litt.		से	
				2015-16	
		M.A. Final-	20	2010-11	
		Sociology		से	
				2015-16	

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 10.09.2015 एवं 11.09.2015

M.Com. Final

- 1. अधोसंरचना पर्याप्त है।
- 2. पुस्तकें और क्रय की जानी चाहिए।
- 3. संबंधित विषय अंशकालीन व्याख्याता एवं जनभागीदारी से नियुक्त कार्यरत् है। नियमित नियुक्ति हेतु शास्न को पत्र लिखा जाना चाहिए।

M.Sc. Final- Chemistry, M.A. Final- Hindi Litt., M.A. Final- Sociology

एम.एस.सी. रसायन शास्त्र एवं एम.ए. हिन्दी तथा समाजशास्त्र अंतिम वर्ष के छात्र—छात्राओं के निरीक्षण दिनांक 10.09.2015 को किया गया —

- 1. अधोसरंचना पर्याप्त है।
- 2. पुस्तकें पर्याप्त नहीं है और खरीदना है।
- 3. रसायन शास्त्र के लिए कुछ उपकरण है और कुछ खरीदना है।
- 4. संबंधित विषयों में अंशकालिन एवं जनभागीदारी से नियुक्त व्लाख्याता कार्यरत हैं। नियमित व्याख्याता हेतु शासन को पत्र लिखा जा चुका है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
12	शास. दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महावि. बलौदाबाजार	M.Sc. Prev Chemistry	25	2015—16	 प्रो. के.के. घोष, रसायन अध्ययनशाला डॉ. एस.के. राजपुत, शास. महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला–बालोद

निरीक्षण तिथि – 27.11.2015

(शासन का आदेश क्र. एफ 3-35/2015/38-1 दिनांक 21.08.2015)

पं.र.वि.वि. के आदेश क्र. 6110 / सम्बद्धता / 2010 दिनांक 30.10.2015 को निरीक्षण समिति में शास. दाऊ कल्याण स्नातकोत्तर महा. बालोदाबाजार में निरीक्षण किया गया जिसमें M.Sc. रसायन शास्त्र की 25 सीट के विरुद्ध वर्तमान में 3 अतिथि शिक्षक कार्यरत है। कुल 25 छात्रों को प्रवेश दिया गया। अध्ययन कक्ष उपलब्ध है। प्रायोगिक कार्य B.Sc. प्रयोगशाला में सम्पादित किया जा रहा है। कुछ उपकरण है परन्तु Prospectus के अनुसार आधुनिक उपकरण रसायन की अति आवश्यकता है। वर्तमान में ग्रंथालय में नयी 28 तथा 185 पुस्तकें उपलब्ध है और पुस्तकों की आवश्यकता है। E-Book की अतिरिक्त व्यवस्था है। एम.एस.सी. खोलने की पात्रता है।

	क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	চ্যান্ন	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
1			1	संख्या		
	13	शासकीय शहीद कौशल यादव महा. गुण्डरदेही	M.A. Prev. Political Sc.	25		1. प्रो. अमरकांत पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अ.शा. 2. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल, प्राचार्य, शास. डी.एस. व्ही. संस्कृत महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि - 03.11.2015

(शासन का आदेश क्र. एफ 3-35/2015/38-1 दिनांक 21.08.2015)

वि.वि. के पत्र क्र. 5832 दिनांक 28.09.2015 के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 03.11.2015 को शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही का निरीक्षण किया गया तथा निम्न तथ्य पाये गये।

- 1. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें कक्ष एवं फर्नीचर पर्याप्त मात्र में उपलब्ध है। यहा स्थायी प्राचार्य कार्यरत् हैं। कुल सहायक प्राध्यापकों की संख्या 06 है, जिसमें राजनीति विज्ञान में एक सहा. प्राध्यापक (नियमित) शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसी तरह अशैक्षणिक पद पर कुल 06 लोग कार्यरत है।
- 2. राजनीति विज्ञानं विषय में स्नातक स्तर पर कुल 494 पुस्तकें एवं स्नातकोत्तर हेतु 27 पुस्तकें हैं। महाविद्यालय में जनभागीदारी समिती कार्यरत है।
- 3. एम.ए. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की 25 सीटों के लिये सम्बद्धता हेतु एक अतिरिक्त शिक्षक एवं पुस्तकों की आवश्यकता है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

_					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	চার	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
	y makanan mah		संख्या		S an an interest test the F in the S
14	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य	M.Sc. Final Maths	15	2015—16	 प्रो. एच.के. पाठक, गणित अध्ययनशाला डॉ. अमिताभ बनर्जी, शास. सुखराम नागे महा.
	स्नातकोत्तर महा. महासमुद	M.Sc. Final Botany	15		नगरी सिहावा, जिला—धमतरी 1. प्रो. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस अध्ययनशाला 2. डॉ. (श्रीमती) रेखा पींपलगांवकर, अध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र अध्ययन मण्डल एवं आचार्य शास. नागार्जुन विज्ञान स्नातकोत्तर महा. रायपुर

निरीक्षण तिथि - 23.11.2015

वि.वि. के पत्र क्र. 6112/अका./संबद्धता/2015 दिनांक 30.10.2015 के संदर्भ में निरीक्षण समिति ने दिनांक 23. 11.2015 को शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द का निरीक्षण किया और पाया कि –

- 1. एम.एस.सी. अंतिम गणित (15 सीट) के लिए अधोसंरचना पर्याप्त है।
- 2. महावि. में गणित विषय हेंतु 01 प्राध्यापक एवं 02 सहा. प्राध्यापक का सेटअप स्वीकृत है। वर्तमान में 02 सहा. प्राध्यापक (नियमित) एवं 01 सहा. प्राध्यापक (जनभागीदारी) कार्यरत है। दो अतिरिक्त सहा. प्राध्यापकों की आवश्यकता है।
- 3. Computer Components के लिए महा. में 58 PCS उपलब्ध है। Nodes में Legal Software नहीं है।
- 4. ग्रंथालय में M.Sc. गणित की पुस्तकें नगण्य है। छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जायें।
- 5. Operating System के लीगल वरजन् एवं छात्र संख्या के समानुपातिक Text Books/Reference Books होने की शर्त पर सम्बद्धता मान्य किया जा सकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	চ্যার	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
			संख्या		
15	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम, जिला—गरियाबंद	M.A. Prev. Hindi	25	2015—16	1. प्रो. भगवंत सिंह, दर्शनशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. ज्योति पाण्डेय, अध्यक्ष, हिंदी अध्ययन मण्डल, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी महा. महासमृद 3. डॉ. अलका श्रीवास्तव, प्रायायं, शासकीय विधि महाविद्यालय, बलौदाबाजार

निरीक्षण तिथि — 09.12.2015

(शासन का आदेश क्र. एफ 3-35/2015/38-1 दिनांक 21.08.2015)

महाविद्यालय 1972 से स्थापित है। यहाँ कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तीनों संकाय स्थापित है। हिन्दी विषय में अभी 03 सहायक प्राध्यापक कार्यरत है। लो.से. आयोग से 01 नियमित, अतिथि व्याख्याता 01 तथा जन भागीदारी के माध्यम से 01 सहा.प्रा. कार्यरत है। महाविद्यालय में पुस्तकालय स्थापित है जिसमें हिन्दी विषय की कुल 5443 पुस्तकों वर्तमान में हैं तथा रु. 49990 / — का नवीन क्रयादेश जारी किया जा चुका है। कक्षा संचालन हेतु 25 विद्यार्थियों हेतु कक्ष उपलब्ध है। उपरोक्त के समर्थन में प्राचार्य का पत्र संलग्न है। समिति सर्वसम्मित से संस्था को एम.ए. हिन्दी की सम्बद्धता हेतु पात्र मानती है।

विर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

04. शासकीय महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम शासकीय -गजानन माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का संशोधन आदेश पृ. पत्र क्र. एफ 5–65/2007/38–1 रायपुर, दिनांक 14.10.2015 के द्वारा शासकीय गजानन माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा जिला–कबीरधाम किये जाने की अनुशंसा की गई।

05. यू.जी.सी. के पत्रानुसार पाठ्यक्रम में समयावधि का निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : यू.जी.सी. का पत्र क्र. D.O.No. F. 12-1/2015 (CPP-II) 15th October में UGC Guidelines on Determination of a Uniform Span Period Within which a Student may be allowed to Qualify for a Degree में उल्लेखित निम्नलिखित बिंदु क्रमांक 2 –

- 2. A student who for whatever reasons is not able to complete the programme within the normal period or the minimum duration prescribed for the programme, may be allowed two years period beyond the normal period to clear the backlog to be qualified for the degree. The general formula, therefore should be as follows:
 - a) Time Span = N + 2 year for the completion of programme.

- where N stands for the normal or minimum duration prescribed for completion of the programme.
- b) In exceptional circumstance a further extension of one more year may be granted. The exceptional circumstances be spelt out clearly by the relevant statutory body concerned of the university.
- c) During the extended period the student shall be considered as a private candidate and also not be eligible for ranking.

के पालनार्थ पाठ्यक्रम की समायाविध के संबंध में संशोधन करने हेतु अनुशंसा की गई -

06. 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित ७ नवीन शोध केन्द्रों की स्थापना के संबंध में विचार करना।

निर्णय : 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में प्रस्तावित 7 नवीन शोध केन्द्र की स्थापना की अनुशंसा की गई —

- 1. Centre for Cognitive Science
- 2. Centre for Integrated Tribal Studies
- 3. Centre for Translational Chronobiology
- 4. Centre for Nano-science & Nano-technology
- 5. Centre for Geriatrics and Gerontology
- 6. Center for Mega Projects in Multi wavlength Astronomy
- 7. Centre for Herbal Drug Technology
- 07. यू.जी.सी. का पत्र क्र. D.O.No. F. 1-1/2015(Secy) 27th October 2015 राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (RAA) के स्थापना के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : यू.जी.सी. का पत्र क्र. D.O.No. F. 1-1/2015(Secy) 27th October 2015 राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (RAA) के स्थापना के लिए समस्त अध्ययनशाला एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय को प्रेषित कर तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।
- 08. एल.एल.एम. पुराना पाठ्यक्रम के अंकसूची जारी किये जाने के संबंध में विचार करना। विर्णय : प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही हेतु विधि संकायाध्यक्ष को अधिकृत किया जावे।
- 09. नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर, जिला-रायपुर में एन.सी.टी.ई. भोपाल के Revised
 Order के अनुसार 100 सीट के स्थान पर 50 सीट (1 यूनिट) करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर, जिला-रायपुर में एन.सी.टी.ई. भोपाल के Revised Order No. WRC/APW08080 /723175/2015/142302, दिनांक 31.05.2015 के अनुसार 100 सीट के स्थान पर 50 सीट (1 यूनिट) का अनुमोदन किया गया।

- 10. बी.एस—सी. में 'गैंदलाल चन्द्राकर स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने, विनियम क्रमांक 164 के अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय : दानदाता श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर, ग्राम-चिचा, पो.आ.-तर्रा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग के द्वारा अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में 'गैंदलाल चन्द्राकर स्मृति स्वर्ण पदक' के नाम से सत्र 2014-15 बी.एस-सी. (B.Sc.) की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र / छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने संबंधी विनियम क्रमांक 164 की अनुशंसा की गई।
- 11. बी.फार्मा अंतिम वर्ष में 'कुंजिया देवी चन्द्राकर स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने, विनियम क्रमांक 165 के अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय : दानदात्री श्रीमती संगीता चन्द्राकर, ग्राम—चिचा, पो.आ.—तर्रा, तहसील—पाटन, जिला—दुर्ग के द्वारा अपने स्वर्गीय माता की स्मृति में 'कुंजिया देवी चन्द्राकर स्मृति स्वर्ण पदक' के नाम से सत्र 2014—15 बी.फार्मा अंतिम वर्ष (B.Pharma Final Year) की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने संबंधी विनियम क्रमांक 165 की अनुशंसा की गई।
- 12. विनियम क्रमांक 156 में प्रस्तावित संशोधन किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विनियम क्रमांक 156 में संलग्न प्रपत्रानुसार प्रस्तावित संशोधन किये जाने की अनुशंसा की गई।

13. सत्र 2015—16 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :--

शासकीय महाविद्यालय

4	रात्माय गुलायदालय	
1	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी	
2	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलोदा, जिला–महासमुंद	
3	शास. एल.सी.एस. महाविद्यालय अम्बागढ चौकी जिला-राजनांदगांव (क्र.ग.)	
4	शासकीय कॉलेज मोहला, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	
5	शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई, जिला—कबीरधाम (छ.ग.)	
6	शास. सुखराम नागे, महाविद्यालय, सिहावा (नगरी) जिला–धमतरी	

अशासकीय महाविद्यालय

ासारामान महामिद्याला	
आयभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय कोपरा, जिला–रायपर (छ.ग.)	
श्री पैरी गंगा महाविद्यालय मैनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	
उदन्ती महाविद्यालय, देवभोग जिला-रायपुर (छ.ग.)	
छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा जिला–धमतरी (छ ग)	
कचना धुरवा, महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला–रायपुर (छ.ग.)	
रायल कालेज, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	*
जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)	
	आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय कोपरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) श्री पैरी गंगा महाविद्यालय मैनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) उदन्ती महाविद्यालय, देवभोग जिला-रायपुर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा जिला-धमतरी (छ.ग.) कचना धुरवा, महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.) रायल कालेज, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव

अशासकीय बी.एड. महाविद्यालय

1	श्री राम कालेज, ग्राम व पोस्टसारागांव, जिला- रायपुर (छ.ग.)
2	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एजुकेशन, खसरा नं.—1234, ग्राम+पोस्ट—नरदहा, तह.—आरंग, रायपुर (छ.ग.)

अशासकीय बी.एड्. एवं अन्य विषय संचालित महाविद्यालय

	1	प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
2	2	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)

निर्णय : सत्र 2015–16 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार <u>अस्थायी</u> सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है —

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	
	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर	B.ScI Bio Group FC, Chemistry, Botany,	50	2015—16	1. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला 2. प्रो. एच.के. पाठक, गणित अध्ययनशाला 3. प्रो. ए.के. गुप्ता, जैविकी अध्ययनशाला 4. प्रो. नमिता ब्रम्हे, भौतिकी अध्ययनशाला	
		Zoology				

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 10.12.2015

Govt. Naveen Adarsh College, Raipur - Ref: Univ. Letter 6433/All/Acad/2015 Raipur dt. 30-11-15. 'The Committee visited the college on 10-12-2015 and observed the following.

- 1. The College is new and started in Juyl 2015 with B.Sc. (Chemistry, Botany & Zollogy) 50 Seats
- 2. The College is currently running in Govt. NPG Science College utilizing its Infrastructure facility, laboratory, Library & faculty.
- 3. The process of acquiring land for new college building is in process.
- 4. The budget and faculty has not been sanctioned yet. However, the process is on.

- 02. B.Voc Rennewable Enervy Technology & Management, Draft Regulation, Scheme and Syllabus के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : B.Voc पाठ्यक्रम के लिए पूर्व में कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित अध्यादेश के आधार पर अंतिम किप देने हेतु डॉ. शैलेन्द्र सराफ, आचार्य, विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर एवं डॉ. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को अधिकृत किया जावे।
- 03. UGC के पत्र क्रमांक D.O.NO.F.1-11/2015(Cm) 21st November, 2015 के अनुसार MHRD के द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए स्थापित National Institution

Ranking Framework (NIRF) पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

संबंधित पत्र समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को भेजकर उपरोक्त पत्र की प्रति पैरामीटर एवं मीटिंग नोटिस समस्त अध्ययनशाला तथा समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय को कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति अध्यक्ष

कुलसिव सचिव

पृ. क्र. 🛮 👉 🕒 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांकः 14 /12/2015

प्रतिलिपि :-

- 1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
- 2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
- 3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
- 4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को , सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

विषय:— बी.एड. स्पेशल एजु. एम.आर. द्विवर्षीय पाठयक्रम का अनुमोदन करने विचारार्थ।

विभागीय टीप-

1. विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड.स्पेशल एजु. एम.आर हेतु एक वर्षीय पाठयकम के संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी जिसका अध्यादेश समन्वय समिति के विचारार्थ प्रेषित किया जा चुका है।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2009 के अनुसार एक वर्षीय सामान्य बी.एड. पाठयकम को द्विवर्षीय करने की प्रक्रिया अध्ययन मंडल के माध्यम से अध्यादेश पारित करा कर समन्वय समिति को प्रेषित की जा चुकी है।

3. इसी अनुक्रम में बी.एड.स्पेशल एजु. एम.आर के एक वर्षीय पाठयक्रम के अध्यादेश के स्थान पर बी.एड.स्पेशल एजु. एम.आर. दो वर्षीय पाठयक्रम का अध्यादेश अध्ययन मंडल के अनुशंसा अनुसार समन्वय समिति को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाना है।

4. बी.एड.स्पेशल एजु. एम.आर पाठयक्रम का अध्ययन अध्यापन माह जुलाई/अगस्त 2015 से प्रारंभ हो चुका है।

यथा प्रकरण आदेशानुसार विद्या परिषद की स्थायी समिति में विचारार्थ प्रस्तुत है।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष : 0771-2262802 (अकादिमक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

Regulation No. - 166 (E.C. Under - -2016)

SHRI MATAJI NIRMALA DEVI SAHAJA YOGA GOLD MEDAL

Donor

Smt. Nandini Singh.

W/O. Dr. Rajeev Chaudhari,

Satya Sadan, Himmatpura, Dhouli Pyau,

Mathura (Uttarpradesh) 281 001

Mob.No. - 9691460272

Value of Endowment

Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)

B.No./R.No. G1\14261, Dated- 28 Jan-2016

Award

One Gold Medal

- 1. The Endowment shall be called "Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
- 2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secures first position in merit list in **M.P.Ed. Final year** students of School of Studies in Physical Education of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
- 3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded the medal
- 4. The award of Gold Medal shall be effective from examination 2015-2016.



डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल (पूर्व कुलपति, बीपीएस, महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा) अपर सचिव

Dr. (Mrs.) Pankaj Mittal Former Vice-Chancellor, BPS Women University, Haryana Additional Secretary

मि0 सं0 16-1/2008 (राजभाषा)



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Human Resource Development, Govt. of India

बहादूरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23232055, Telefax: 011-23219716 Email: pankajugc@gmail.com | pankajugc@nic.in

28 जनवरी, 2016

अनुस्मारक ॥

पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, रायपुर-492 010, (छत्तीसगढ)

E8 341/ 501/p

विषय:- माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 28 जुलाई, 2011 को आयेजित बैठक के कार्यवृत्त पर कार्यवाही के संदर्भ में।

महोदय / महोदया,

लपरोक्त विषय के संदर्भ में गाननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 28.07.2011 को आयोजित केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक के कार्यवृत्त में लिए गये निर्णय पर कार्रवाई हेतु विश्वविद्यालय को दिनांक 05.09.2014, 15.01.2015 एवं 29.05.2015 को पत्र प्रेषित किये गये था। आयोग को विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक के कार्यवृत का ब्यौरा निम्नवत् है।

कार्यवृत्त की	प्रश्न
मद सं0	
3 ख (iv)	विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों को हिन्दी एवं अँग्रजी दोनों मुख्य विषय के रुप में पढ़ाई जायें।
3 ख (vi)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजूदा आदेशों के अनुरुप स्नातक स्तर पर विधि एवं वाणिज्य विषयों में अँग्रेजी को एक विषय के रुप में पढ़ाना अनिवार्य है। विषयों के विकल्प इस प्रकार दिए जाते है कि हिन्दी व अँग्रेजी दोनों का अध्ययन अनुमन्य (Permissible) नहीं है। इन पाठ्यक्रमों में हिन्दी को भी पढाया जाना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बैठक में लिए गये निर्णय पर की गई कार्रवाई की सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिनांक 25.06.2015 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं सूचना को राजभाषा अनुसारा की ई-मेल rajbhasha.ugc@gmail.com पर भी प्रेषित कर दें।

278/21 (901) 4/2/16

भवदीया. (पंकज मित्तल) अपर सचिव

(76ka)

कार्यालयीन टीप

विषय :- स्नातक स्तर पर हिंदी एवं अंगरेजी विषय के अध्ययन/अध्यापन के लिए यू.जी.सी. के पत्र क्र. मि0 सं0 16-1/2008 (राजभाषा) 28 जनवरी, 2016 के संबंध में विचार करना। टीप :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपर सचिव का पत्र मि०सं० 16-1/राजभाषा दिनांक 28.1. 2016 का कृपया अवलोकन करना चाहे-

उनके द्वारा निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है-

उख(चार)	विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों को हिंदी एवं अंगरेजी दोनो मुख्य विषय के
	रूप में पढ़ाई जायें।
3ख(छ:)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजुदा आदेशों के अनुरूप स्नातक स्तर पर विधि एवं
	वाणिज्य विषयों में अंगरेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य है। विषयों के
	विकल्प इस प्रकार दिए जाते है कि हिंदी व अंगरेजी दोनो का अध्ययन अनुमन्य नही
	है। इन पाठयकमों में हिंदी को भी पढ़ाया जाना चाहिए।

विदित हो कि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर तीनों वर्षों में हिंदी एवं अंगरेजी विषय का अध्यापन कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाता है एवं अंगरेजी विषय में पढ़ाए जाने वाले पाठयकम बी.बी.ए. में एक प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से हिंदी का रखा गया है, लेकिन विधि विषय में हिंदी एवं अंगरेजी के पाठयकम का अध्ययन नही कराया जाता चूंकि छात्र स्नातक के बाद विधि के पाठयकम में प्रवेश लेता है।

अतः उक्ताशय की जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है।

कार्यवृत्त की मद सं0	प्रश्न	विश्वविद्यालय का उत्तर
3ख(चार)	विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों को हिंदी एवं अंगरेजी दोनो मुख्य विषय के रूप में पढ़ाई जायें।	विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर तीनों वर्षो में विद्यार्थियों को हिंदी एवं अंगरेजी दोनो मुख्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।
3ख(छ:)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजुदा आदेशों के अनुरूप स्नातक स्तर पर विधि एवं वाणिज्य विषयों में अंगरेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य है। विषयों के विकल्प इस प्रकार दिए जाते है कि हिंदी व अंगरेजी दोनो का अध्ययन अनुमन्य नहीं है। इन पाठयकमों में हिंदी को भी पढ़ाया जाना चाहिए।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजुदा आदेशों के अनुरूप स्नातक स्तर पर तीनों वर्षों में वाणिज्य विषयों में अंगरेजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। स्नातक स्तर पर अंगरेजी माध्यम के पाठयक्रमों में भी हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

Center for Basic Sciences

Integrated M. Sc.

Regulation No.

1.	Candidates admitted to the program shall pursue the prescribed courses regularly in each of the ten semesters successively. The Master Degree shall be awarded to those candidates who shall obtain at least 50% marks in cumulative aggregate in each of the ten semesters in theory, sessional and practical course separately and minimum of 40% qualifying marks in each theory, practical and sessional paper.				
2.	B.Sc. (Hons) degree shall also be awarded along with the M.Sc. degree. Student shall have the option to quit the program after three years with the B.Sc. (Hons) degree.				
3.	40% marl examinati Such stuc	failing to appear or securing less than 50% aggregate or obtained less than ks in any of the theory, practical or sessional paper in I to X semester on shall be allowed to pursue the course for the next following semester. It is shall be considered FAIL or FAIL in AGGREGATE with ATKT heme of examination shall be as follow:			
	(i)	Successful candidate shall be declared PASS up to IX semester and with successful completion of the X semester division will be awarded with appropriate provision.			
	(ii)	A student failing to qualify the examination of any semester shall be allowed to keep turn (ATKT) along with the successive semester examination in the following semester.			
	(iii)	ATKT provision shall be in three papers of one semester with maximum three attempts only $(1 \text{ main} + 2 \text{ ATKT})$.			
	(iv)	A student who has been admitted to any semester but fails to fill up examination form of that semester examination or debarred to take examination due to short attendance or any other appropriate reason then he/she shall have to appear at that examination in the following semester.			
	(v)	Each theory and practical shall have 100 marks out of which 60% will be internal spread over three internal examinations comprising of unit tests, assignments, presentations, quizzes etc.			
	(vi)	The provision of revaluation will not be available; however a*student may apply for re-totalling.			
	(vii)	The examination shall be held in all subjects as approved by the University from time to time.			
	(viii)	There shall be no provision for division improvement under Ordinance 184.			
	(ix)	The matter not covered in this act/ordinance shall be governed by the ordinance no. 5 and 6 and other provision of the University rules.			
	(x)	Marks secured in additional paper will not be added for marking Grade Point Average. However, they shall have to score minimum passing marks.			
	(xi)	Student shall be permitted to use simple calculator.			

At 1 5/2/16

112m2 1291L

Mann fum Ports Dayl

4.	If a student fails to procure a total of 60% marks in a semester, the scholarship shall be discontinued from the next semester and shall be continued only when they again get 60% in a semester. Only ST and SC category students shall get back the scholarship amount as arrears which was not given due to failure of procuring 60% marks.
	The second secon
5.	The weighted total marks secured by the candidate in each course shall be converted into letter grade, respective grade point are given in the following table:

			The second secon	A Francisco
Percentage of Marks	Grade	Letter	Description	tines in the
	Point	grade		
90 and above	10	S	Extraordinary	
80-89	9	А	Excellent	
70-79	8	В	Very good	
60-69	7	С	Good	- main species
50-59	6	D	Fair	WASALL
40-49	5	Е	Pass	
Below 40	0	F	Fail ,	

How spells Mann kum buts

The spells of 116

Regulation No.....

Autonomy to the Center for Basic Sciences

1. **Preamble:** The Center for Basic Sciences (CBS) will offer five-year integrated PG programs in select areas of basic sciences, notably, Physics, Chemistry, Mathematics, and Biology that will be amenable to 12th graders. The center will also offer Integrated PG-PhD program, Research-based PG and PhD alone programs that will be the ultimate hallmark of the CBS.

2. Academic Autonomy to the Center for Basic Sciences

The academic autonomy shall foster academic excellence in the core branches of basic sciences.

- 3. **Objectives:** The objective of this regulation is:
 - to give academic autonomy to the Center for Basic Sciences
 - to create a "Corpus fund" for smooth functioning of the Center for Basic Sciences.
 - CBS will have the freedom to:
 - (i) Determine and prescribe its own courses of study and syllabi, and restructure and redesign the courses to suit local as well as global needs;
 - (ii) Prescribe rules for admission in compliance with the reservation policy of the state government;
 - (iii) Evolve methods of assessment of students' performance, the conduct of examinations and notification of results;
 - (iv) Use modern tools of educational technology to achieve higher standards and greater creativity; and
 - (v) Promote healthy practices, such as community service, extension activities, neighborhood programs, projects for the benefit of the society at large.

4. Creation of Corpus Fund:

- (i). At the discretion of the <u>University</u> Executive Council, the Registrar of the University shall create a "Corpus fund" from the amount receiving from any source / all sources and keep it in any one of the nationalized banks.
- (ii). Said fund shall be added with the amount as income from any source and/or the interest earned from the deposits balance in the bank.

5. Scope of Corpus Fund

The scope of this regulation shall be limited to income received by the University from all sources. But for all practical purposes corpus fund is a permanently closed fund with no strings or restriction for future application attached.

6. Operation of Corpus Fund:

- (i) Normally the amount kept as Corpus Fund shall not be used to meet routine expenditure. However, it be used only if an immediate exigency arises.
- (ii) The Corpus Fund shall be operated with the joint signature of the Finance Controller and the Registrar under the control of the Kulapati.

7. Relationship with the parent university, the state government and other educational institutions:

The CBS is free to make use of the expertise of university departments and other institutions to frame their curricula, devise methods of teaching, examination and evaluation. After getting concurrence from the Government of Chhattisgarh the CBS can recruit administrative officer, teachers, non-teaching staff, Lab supporting staff after having concurrence from Government of Chhattisgarh according to the existing procedures (for the university).

The parent university will accept the methodologies of teaching, examination, evaluation and the course curriculum of the CBS. It will also help the CBS to develop its academic programs, improve the faculty and to provide necessary guidance by participating in the deliberations of the different bodies of the university.

- (A) The role of the parent university will be: To bring more autonomous institutions under its fold:
 - (i) To promote academic freedom in the CBS by encouraging introduction of innovative academic programs;
 - (ii) To facilitate new courses of study, subject to the required minimum number of hours of instruction, content and standards;
 - (iii) To permit CBS to issue her own provisional, migration and other certificates;
 - (iv) To do everything possible to foster the spirit of autonomy;
 - (v) To ensure that degrees issued indicate the name of the CBS;
 - (vi) To depute various nominees of the university to serve in various committees of the CBS and get the feedback on their functioning; and
 - (vii) To create separate wings wherever necessary to facilitate the smooth working of the CBS.

(B) The state government will assist the CBS by:

- (i) Avoiding, as far as possible, transfer of teachers, especially in parent departments of the university/colleges where academic innovation and reforms are in progress, except for need-based transfers
- (ii) Conveying its concurrence for the extension/conferring autonomy of the CBS to the university within the stipulated time of 30 days after receipt of recommendation of the university based on review committee report constituted by the university having two government nominee from the Higher Education Department, Government of Chhattisgarh, failing which it will be construed that the state government has no objection to the CBS continuing to be autonomous
- (iii) Deputing nominees on time to the governing council of the CBS and other bodies wherever their nominees are to be included, and
- (iv) All three stakeholders, the parent University, the State Government and UGC have to play a very harmonious and proactive role as facilitators in letter and spirits.

(C) Conferring autonomous status:

Autonomy granted to the Center for Basic Sciences is Institutional and covers all the courses at B. Sc. (Hons.), Integrated M.Sc., Research based PG, Dual degree M.Sc.-Ph.D., Ph.D. level, which are being run by the Center at the time of conferment of autonomous status. Also all courses introduced by the Center after the conferment of autonomous status shall automatically come under the purview of autonomy.

Autonomous status covers undergraduate (Honors), postgraduate, Research – based PG, dual degree and Ph.D. programs offered in the CBS. The parent university will confer the status of autonomy upon the CBS with the concurrence of the state government. Once the autonomy is granted, the University shall accept the students of autonomous CBS for award of such degrees as are recommended by the autonomous CBS. The Act and Statutes of the universities ought to be amended to provide for the grant of autonomy to the Center for Basic Sciences. Before granting autonomy, the university will ensure that the management structure of the Center is adequately participatory and provides ample opportunities for academicians to make a creative contribution.

- 8. Nature of Assistance: Pattern of financial assistance and other enabling provisions shall be as follows:
 - (i) The University will provide assistance under this scheme to the CBS and other autonomous institutions within the campus to meet their additional and special needs.
 - (ii) Guest/visiting faculty
 - (iii) Orientation and re-training of teachers.

- (iv) Re-designing of courses and development of teaching/learning material
- (v) Workshop and seminars
- (vi) Examination reforms
- (vii) Office equipment, teaching aids and laboratory equipment
- (viii) Furniture for office, classrooms, library and laboratories
- (ix) Library equipment, books/journals
- (x) Expenditure on meetings of the governing council and committees
- (xi) Honorarium to Controller of Examinations (full-time) not exceeding Rs. 10,000.00 p.m.
- (xii) Renovation and repairs leading to construction of a new building for the CBS and other autonomous institutions within the campus
- (xiii) Extension Activities

9. Meetings of the Statutory Bodies:

- (i) Introduction of a new course should be executed after due preparation and large scale participatory discussions.
- (ii) Preparation for a course to be introduced in the next academic session should start in the month of October of the preceding session with meetings of Academic Board.
- (iii) Academic Board meeting should be held twice, once in the month of January to discuss proposals for the next academic session and again in the month of August to monitor status of newly introduced courses. Academic Board shall propose ways and means to maintain quality norms.
- (iv) Governing Council meetings should follow the meetings of Academic Board. In the month of August the Governing Council should pass the budget of the CBS fund.
 - (v) Finance committee should meet at least twice in a financial year. The meetings can be organized in the month of April and September of every year. The meeting in the month of April shall be the budget meeting for autonomy grant and in September there will be another budget meeting for autonomous fund created by the university through examination and other relevant fees.

10. Examination Cell & System

- (i) Autonomous CBS shall have an Examination Cell headed by Controller of Examination who will be a permanent faculty nominated by the university on the basis of potential of the person.
- (ii) The Controller of Examination will create his/ her own team with the approval of the Director of the Center. The team shall consist of Deputy Controllers/ Assistant Controllers, the number of persons to be nominated shall depend on the quantum of work in the Examination Cell. Teachers working in the Center shall be nominated in the Examination Cell for tenure of 3 years. They will continue doing their teaching work as scheduled by the CBS.
- (iii) There shall be a team of Office Assistants, Computer Programmers, Data Entry Operators and other helpers in the Examination Cell of CBS.
- (iv) Examination Cell will have appropriate printing unit also for printing of question papers and other relevant confidential material.

- (v) All part-time/full-time functionaries of the Examination Cell shall be paid honorarium for the extra work being done by them apart from their usual work. Such honoraria shall be proposed by the Finance Committee and shall be approved by the Governing Council.
- (vi) Governing Council may also approve appointment of full time office staff in the examination cell on contractual basis on the recommendation of Finance Committee. The salary of such staff will also be decided by the same mechanism.
- (vii) There shall be continuous, comprehensive evaluation of students through internal and external examination. At least 2 internal examinations per semester and 1 end semester examination should be conducted.
- (viii) In order to motivate students to be free of rot learning, various mechanism of internal evaluation should be adopted, such as group discussion, paper reading, home assignments and viva voce.
- (ix) Remuneration for examination work should be decided by the finance committee and should be approved by the Governing Council. In no case it should be less than that paid by the parent university.

11. Award of Degrees: Through Parent University

- The parent university shall award degrees to the students evaluated and recommended by the CBS.
- The degree certificates will be in a common format devised by the university.
- The name of the CBS will be mentioned in the degree certificate.
- 12. Remaining matters not covered in this regulation shall be governed by the respective provisions of the University Act / Statute/ Ordinances / regulations.



प.क्रं. ल.पी./0101/16

प्रेषक अध्यक्ष, श्री उवसग्गहरं पाइर्व तीर्थ, नगपुरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्रति कुलपति पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विषयः - पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में जैन दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में आचार्य श्री लिब्ध सूरी.महाराजा जैन अध्ययन पीठ (जैन स्टडी चेयर) की स्थापना।

Registro Da

संदर्भ :- विश्वविद्यालयों में यूजीसी चेयर की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश। महोदय,

यह विदित ही है कि छत्तीसगढ़ प्राचीन काल से जैन दर्शन और संस्कृति के प्रसार और अध्ययन, अनुशीलन और चिंतन का केन्द्र रहा है। दुर्ग के निकट नगपुरा में महानतम जैन तीर्थ- श्री उवसम्महरं पार्श्व तीर्थ स्थित है जो संपूर्ण भारत के जैन धर्मावलम्बियों की आस्था का केन्द्र है। यहाँ जैन मंदिर परिसर के साथ ही आरोग्यधाम स्थित है। प्रति वर्ष इस तीर्थ में भारत भर से लाखों जैन धर्मावलम्बी यात्रा पर आते हैं और जैन धर्म के महान आचार्य भी इसे अपनी साधना का केन्द्र बनाते हैं। भारत के सभी भागों से अन्य धर्मावलम्बी भी बहुत बड़ी संख्या में नगपुरा की यात्रा पर आते हैं।

छत्तीसगढ़ के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि बौद्ध धर्म गुरु आदरणीय दलाई लामाजी की विगत यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय ने बौद्ध दर्शन पीठ की स्थापना की घोषणा की थी। हमारे लिए गौरव की बात थी कि उक्त अवसर पर विश्वविद्यालय ने जैन दर्शन अध्ययन पीठ की स्थापना की जाने की भी सूचना दी थी।

उवसम्महरं पार्श्व तीर्थ ने विगत वर्ष विश्वविद्यालय को एक प्रस्ताव दिया था कि विश्वविद्यालय में जैन दर्शन अध्ययन पीठ स्थापित कि जाए और उसके लिए आर्थिक सहयोग का भी वचन दिया था। उक्त प्रस्ताव पर ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी और विश्वविद्यालय में अब तक जैन दर्शन अध्ययन पीठ की स्थापना नहीं हो सकी है।

दिनांक 6 फरवरी 2016

19/

MAIS KHADING



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से हमारा आग्रह है कि वह यूजीसी की नई गाइडलाइस के अनुसार विश्वविद्यालय में जैन दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में आचार्य श्री लिब्ध सूरी महाराज-जैन अध्ययन पीठ (जैन स्टडी चेयर) की स्थापना करें। इस चेयर की स्थापना और कार्य संचालन के लिए उवसम्गहरं पार्श्व तीर्थ द्वारा प्रतिवर्ष यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस जैन स्टडी चेयर की स्थापना के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुरुप एक विस्तृत प्रस्ताव संलग्न हैं।

आपसे आग्रह है कि इस प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अपनी सहमित देने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय की ओर से सहमित प्राप्त होने पर उवसम्महरं पार्श्व तीर्थ, नगपुरा और पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीच एक मेमोरेण्डम आफ अंडरस्टेडिंग (एमओयू) हस्ताक्षरित किया जा सकता है। इस चेयर की स्थापना शीघ्र हो अतः कृपया इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय हमें अतिशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें जिससे कि अगली कार्यवाही संपन्न की जा सके।

संलग्न - जैन स्टडी चेयर की स्थापना के लिए विस्तृत प्रस्ताव

भवदीय

अध्यक्ष

श्री उवसम्महरं पार्ख तीर्थ नमपुरा, जिला- दुर्ग

Draft Proposal for establishment of a Chair for research and advancement of knowledge in the field of Jain Philosophy and Culture in Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

- 1. The chair will be designated in the name of illustrious Jain Saint and Philosopher Jain Acharya Shri Labdhisuri Maharaj.
- 2. The designation of the chair person would be Adhyaksha of Jain Study Chair.
- 3. Qualification for selection of chair person would be on the basis of outstanding track record in the field of study of Jain philosophy and culture.
- 4. Age above 55 years. (The chair being funded by a public trust, the age limit guideline of UGC is not applicable. There is no specific age limit for appointment on the chairs established by State Govt. Refer, Bakhshi Srijan Peeth and even Hindi Granth Academy.)
- 5. Pay Consolidated Rs. 100000 per month.
- 6. Period of appointment The appointment will be initially for one year which may be extended up to maximum for the period of 5 years.
- 7. Duration of chair 5 years and if financial support continues then till the support would be available.
- 8. Mode of nomination- The appointment will be done on the basis of the recommendation of a 3 member committee. The committee would consist of the Vice-Chancellor of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chairperson of the Uvasggaharam Parshva Tirth, Nagpura, and an eminent person nominated by the Chhattisgarh Branch of the Satsahitya Prakashan Mandir, Mumbai. Thereafter, it will be placed before the Executive Council for approval.
- 9. Academic functions of the chair:
- (i) To engage in research and, in turn, contribute to the advancement of knowledge in the area of study of Jain philosophy and culture.
- (ii) To strengthen the role of university/academics in public policy with regard to promoting unity in the multi religious, multi cultural and diverse way of life in India, particularly Chhattisgarh.
- (iii) To provide forum for Research level dialogues, discussion meetings, seminars/summer & winter schools.

- (iv) To publish articles/research papers/ reports/ books /monograms.
- (v) To participate in teaching and Ph. D. program of the department in which it would be located.
- 10. Logistics support to the Chairs
- The chair be located in one of the departments of the university and the university would provide all the academic, administrative and logistic support extended to other professors of the university.
- 11. Funding The fund would be provided by the Uvasggaharam Parshva Tirth, Nagpura to the university on yearly basis in advance. The fund would be kept in a separate bank account by the university. The account would be operated jointly by the chairperson of the chair and the Registrar of the university. The account would be maintained by the staff of the chair. The account would be audited by a chartered accountant every year and would be submitted to the Tirth and University.
- (i) The funding would be 100% for the chair.
- (ii) For books & journals Rs. 150000 per year.
- (iii) For local and national travels Rs. 100000 per year.
- (iv) For secretarial assistance Rs. 150000 per year.
- (v) For organization of workshop/conference seminar Rs. 100000 per year.
- (vi) For contingency for office expenses, hiring assistance for fieldwork and data collection and analysis Rs. 120000 per years.
- 12. Pt. Ravishankar Shukla University would evolve a mechanism to review the progress of the chair annually.
- 13. The university will submit a final report on the activities and the outcome of the chair to the fund provider the Uvasggaharam Parshva Tirth, Nagpura.
- 14. The University and the fund provider may undertake the exercise of reviewing the chair for its continuance, at any stage.
- 15. An Memorandum of understanding will be signed by the Vice Chancellor of Pt. Ravishankar University Raipur and the chair person of Uvasggaharam Parshva Tirth, Nagpura, District Durg, for the implementation of the proposal for the establishment of chair.
- 16. The rules for the functioning of the chair and its activities will be framed by the university in consultation of the Adhyaksha of Jain Study Chair.

(The revision is consequent upon the NCTE regulations 2014 and the RCI (Rehabilitation Council of India) as a regulatory body for special education as endorsed by NCTE Through an MOU on 8th of April. 2015 and shall be effective from the date of approval by the Co-ordination committee)

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

New Ordinance - No.

B.Ed., Special Education (MR) In Semester System

(Bachelor of Education)

Approved in the Coordination i	meeting on
--------------------------------	------------

1. Eligibility:

- 1.1. Candidates with at least 50 % marks either in Bachelor's Degree and/ or in the Master's degree in Science/Social Sciences/Humanities, Bachelors in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto are eligible for admission to the program.
- 1.2. The reservation and other relaxation for SC/ST/OBC/PWD and other categories shall be as per the prevailing rules of the State Government.

2. Admission procedure:

Admissions shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government and the University.

3. Duration:

The B.Ed. program shall be made of duration of two academic years, consisting of four semesters which can be completed in a maximum of three years from the date of admission to the program.



4. Attendance:

In the theory and practical papers attendance of student-teachers must be 80% and in internship should be 90%. The relaxation can be availed as specified in the Ordinance 6 of this university.

5. Assessment:

The examination shall consist of two parts, namely

Part-I ----- Theory and Part-II----- Practicum / Internal Assessment in each semester.

The classification and division in theory (Part-I) will be as under:-

1st division 60% and above marks

2nd division 45% and above but less than 60% marks

3rd division 33% and above but less than 45% marks

Fail Below 33%

In each theory paper the candidate should obtain a minimum of 25% marks.

The classification and division in practical (Part-II) will be as under

1st division 80% and above marks

2nd division 60% and above but less than 80% marks

3rd division 50% and above but less than 60% marks

Fail below 50%

The Theory papers in each semester should have five categories, such as core contemporary studies, pedagogic, teacher enrichment and Elective as recommended by RCI. In each semester a candidate should obtain 33% marks of aggregate in theory papers and 50% in practical, separately.

If any student fails in theory paper or in practical he/she can continue in the next semester and will be allowed to appear at ATKT to maximum 2 times in two papers. However, one candidate has to clear all back papers in a maximum duration of three years from the date of admission.

(M. Normin

- 6. Curriculum program implementation, syllabus, assessment and examination scheme shall be as per the NCTE norms/ RCI recommendations and as approved by the Board of Studies.
 - 6.1 Internal assessment of each candidate is to be carried out throughout the course of each candidate is to be maintained.
 - 6.2 School internship will be for a minimum duration of 20 weeks (4 weeks in the first two semester and 16 weeks in the last two semesters. This also includes, besides practice teaching, an initial phase of one week for observing a regular classroom with a regular teacher and would also include peer observations, teacher observations and faculty observations of practice lessons in each semester.
 - 6.3 Every student has to complete practical work as per syllabus approved by Board of Studies and have to submit a practical copy record. An external examiner will evaluate the student's performance and will also take viva-voce examination.
 - 6.4 Every student has to select one school subjects of two levels for teaching practice. The details about number of lessons shall be followed as per the provisions given by the BoS.
 - 6.5 A student shall have to opt for one elective paper out of the elective courses prescribed.

7. Fees:

The Institution shall charge fee as prescribed by the affiliating body/ State Government in accordance with the provisions of the NCTE regulation 2002/ prescribed by RCI, as amended from time to time, and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

8. The students of one year B.Ed program will be governed by the old ordinance no. of this university.



SCHEME OF ASSESSMENT B.Ed., Special Education(MR) Two year Course, Session 2015-16, 2016 - 17

S. No.	Paper	Credits	Weightage/Marks	
Semester I	Theory			
A1	Human Growth & development	4	100	
A 2	Contemporary India and Education	4	100	
B 7	Introduction to Sensory Disabilities (VI, HI, Deaf-Blind)	2	50	
B 8	Introduction to Neuro Developmental Disabilities (LD,ID/M.R,ASD)	2	50	
В9	Introduction to Locomotor & Multiple Disabilities(deaf- blind,C.P,M.D)	2	50	
C12	Assessment and Identification of Needs	4	100	
	PRACTICUM			
E1	Practical: Cross disability and inclusion	2	50	
	TOTAL	20	500	

Semester II	ter Theory		
	Learning , Teaching and		
A3	assessment	2	100
	Pedagogy of School Subjects		
A4	(ANY ONE from part I to part V)	4	100
	Pedagogy of School Subjects		
A5	(ANY ONE from part I to part V)	4	100



B6	morasive Education		50
	Curriculum Designing, Adaptation		
C13	and Evaluation	4	100
	PRACTICUM		
E2	Practical: Disability specialization	2	50
	TOTAL	20	500
			=
Semester	Theory		
III			
	Educational Intervention and		
C14	Teaching Strategies	4	100
C15	C15 Technology and Disability		100
C16 Psycho Social and Family Issues		2	50
E	nhancement of Professional	Capacities	(EPC)
	Reading and Reflecting on Texts		
D17	(EPC)	2	50
D18 Drama and Art in Education (EPC)		2	50
	PRACTICUM		
E2	Practical: Disability Specialization	4	100
	Main disability special school		
F1	(Related to Area C)	4	100
	TOTAL	22	550

Minimum of four Weeks Should be allocated for school attachment/Internship and reflected in the time table and should cover Tasks specified under E-2 and F-1 with sufficient time for teacher to acquire pedagogical competence to deal with school subject chosen and related activities for whole class as well as children with disabilities in different setting. A suggestive framework is given below:



Semester	Theory			
IV				
\$	Skill Based optional course (cross			
	disability and inclusion) D.			
B10	Community based Rehabilitation	2	50	
	Skill based Optional Course			
	(specialization disability) F.			
	Vocational Rehabilitation and			
B11	transition to job placement	2	50	
F	Enhancement of Professional	Capacities	(EPC)	
	Basic Research & Basic Statistic			
D19	(EPC)	2	50	
	PRACTICUM			
	Practical: Cross Disability and			
E1 Inclusion		4	100	
F2	Other disability special school	4	100	
F3	Inclusive school	4	100	
	TOTAL	18	450	



अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण (स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.02.2016)

निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के 01. सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

豖.	महाविद्यालय का	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
	नाम				*
01.	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा, जिला–गरियाबंद	M.A. Prev English	25	2015—16	1. डॉ. संतोष सिंह, शास. व्ही.वाय.टी. पीजी कालेज, दुर्ग 2. डॉ. अब्दुल अलीम खान, शास. दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतर्इ

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 13.02.2016

(शासन का आदेश क्र. एफ 3—35/2015/38—1 नया रायपुर, दिनांक 21.08.2015)

महाविद्यालय सितंबर 2005 से स्थापित है यहां कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तीनों संकाय स्थापित है। अंग्रेजी विषय में एक वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक कार्यरत है। महाविद्यालय में पुस्तकालय स्थापित है जिसमें अंग्रेजी विषय की कुल 230 पुस्तकें वर्तमान में है तथा रु. 20,000=00 का नवीन क्रयादेश जारी किया जा चुका है। कक्षा संरचना हेतु 25 विद्यार्थियों के लिए कक्ष उपलब्ध है। उपरोक्त के समर्थन में प्राचार्य का पत्र संलग्न है समिति सर्वसम्मित से संस्था को एम.ए. अंग्रेजी की सम्बद्धता हेतु पात्र मानती है।

नोट : ग्रंथालय में एम.ए. अंग्रेजी की आवश्यक पुस्तकों की संख्या कम है अतः आवश्यक पुस्तकें क्रय करने की

अनुशंसा की जाती है।